रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938
No. 599] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

### (लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य)

**का.आ. 668(अ).**—प्रारुप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3126 (अ), तारीख 20 नवंबर, 2015, को प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया;

और, लोनार वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के बुल्डाना में लोनार मंथा राज्य राजमार्ग सं. 171 के दाहिने ओर अवस्थित है और 3.83 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, लोनार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा महाराष्ट्र राज्य के बुल्डाना में स्थित उत्तर अक्षांश 19° 58′ 40" से 19° 58′ 42" और पूर्व देशांतर 76° 31′ 45" से 76° 31′ 56" के बीच स्थित है;

और, लोनार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो डेक्कन प्रायद्वीप के 6 बी केंद्रीय पठार के जैविक प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करता है और मौसमी प्रभाव के कारण लोनार झील बसाल्टिक चट्टान से निर्मित तीसरी झील है;

और, वन्यजीव अभयारण्य में विविध प्रकार के जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के अनेक पर्यावास हैं और इस अभयारण्य की मुख्य वनस्पतियों में साग (*टेक्टोना* ग्रंडिस), लेंडी (*लगेरस्टरवेमिया पार्वीफ्लोरा*), टेम्भुनी (*दिओस्प्रोस* मेलानोसयलों), अंजन, शंखपु-शपि (*एवॉल्वुलस एल्सीनिइड्स*), अशोका, बहेडा, बफूल, बेल, चंदन (*संतालम एल्बम*), धावड़ा(अनोगेइससूस *लातिफोलिया*), हीवर सलाई (*बोस्वेलिया सेररता*), आइन(*टर्मीनालिया इलिपटिका*), तारवाद(सीना *ऑरिक्यूलता*) और पलास(ब्यूटी *मोनोस्पर्मा*) और जीव-जन्तुओं की एक विविधता तेंदुआ*(पेंथेरा पार्डस)*, लकड़बग्घा(*ह्यैना ह्यैना*), भेड़िया*(कैनिस लुपुस पैल्लिपेस)*, जंगली बिल्ली(*फेलिस चूस*), बंदर(*रेसस मक्के*),(*मक्का मुलत्ता*), गिलहरी आदि हैं;

और, लोनार अभयारण्य के भीतर एक झील लोनार झील के रूप में जानी जाती है जो बेसाल्ट चट्टान से गठित उल्का प्रभाव के कारण तीसरी सबसे बड़ी झील है और यह स्थान भू-रुपात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और शोधकर्ताओं को इसके विरचना के संबंध में शोध करने के लिए आकर्षित करता है;

और, लोनार वन्यजीव अभयारण्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुरातात्विक स्मारकों में पहचाना जाता है जो ऐतिहासिक मंदिरों के रुप में हैं;

और, लोनार वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र की सीमा 100 मीटर तक, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में लोनार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को लोनार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन लोनार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर तक की सीमा से 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और ऐसे जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध–I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन महाराष्ट्र के बुल्डाना जिला के 1 ग्राम तक फैला हुआ है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम के नाम के साथ मुख्य बिन्दुओं के निर्देशांक **उपाबंध-II** के रुप में उपाबद्ध है ।

(4) लोनार वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों के साथ मानचित्र **उपाबंध-III** और **III-क** के रुप में उपाबद्ध है ।

**2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट रीति के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके प्रभावी रुप से कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित होगी ।

(3) ऐसी आंचलिक महायोजना अधिसूचना विनिर्दिष्ट अनुबंध के अनुरूप तैयार होगी और जिसमें पर्यावरणीय निहितार्थ सम्मिलित है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना को राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुसार भी तैयार किया जाएगा A

(5) आचंलिक महायोजना संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(10) इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में कार्यों के संपादन के लिए मानीटरी समिति के लिए आंचलिक महायोजना एक निर्देश दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0. 10, 21, 25, 33 और सं. 34 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात्:-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं आदि सम्मिलित है:

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन:वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से, तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय लोनार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर के भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य नियंत्रण बोर्ड विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेंगे ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जी.एस.आर. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

**(14) औद्योगिक ईकाईयां –**(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी |

(ii) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु या मृदा प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित क्रियाकलापों की सूची -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

**सारणी**

| क्रम सं. | क्रियाकलाप | टीका-टिप्पणी |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | **प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप** | |
| 1. | वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां । | (क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है;<br>(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के सर्वदा अनुसरण में होगी । |
| 2. | आरा मिलों की स्थापना । | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । |
| 3. | किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| 4. | जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना । | कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी।<br>हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। |
| 5. | नई बृहत ताप और जल विद्युत परियोजना की स्थापना । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| 6. | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| 7. | जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| 8. | प्लास्टिक थैलों का उपयोग । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | कंपनियों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । |
| | **विनियमित क्रियाकलाप** | |
| 10. | होटलों और रिसोर्टों की स्थापना । | पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं:<br><br>तथापि, वन्य जीव अभयारण्य की सीमा से एक कि.मी. से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा । |
| 11. | संनिर्माण क्रियाकलाप । | (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:<br><br>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी ।<br><br>परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।<br>(ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। |
| 12. | ट्रेन्चिंग ग्राउंड । | नए ट्रेन्चिंग ग्राउंड की स्थापना प्रतिषिद्ध है । पुराने ट्रेन्चिंग ग्राउंड को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । |
| 13. | पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित(अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । |
| 14. | वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है । | (क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ।<br>(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है ।<br>(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।<br>(घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे । |
| 15. | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण। | जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए जब तक 1 से 10 मीटर के पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर तक कोई संन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा। |
| 16. | वायु और यानिक प्रदूषण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| 17. | ध्वनि प्रदूषण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| 18. | भूमिगत जल का निष्कर्षण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |

IndiaCode

| | | |
|---|---|---|
| 19. | वृक्षों की कटाई । | (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।<br>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।<br>(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा । |
| 20. | विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण । | (i) 33 केवी के ऊपर पारेषण लाइनों और वितरण लाइनों को बिछाना।<br>(ii) ग्रामों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केबल जहाँ बिजली नहीं है वहाँ नया बिजली और केबल उत्थापन के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।<br>(iii) विद्यमान विद्युत लाइनों का संवर्धन और नवीनीकरण को अनुज्ञात किया जाएगा ।<br>(iv) भूमिगत केबल लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 21. | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना । | उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगें। |
| 22. | होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।<br><br>पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वन्यजीव के अबाध चलन को अनुज्ञात करने के लिए होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों को कांटेदार तार से उनकी संपत्तियों की बाड़ नहीं लगाई जाएगी और कोई भी बाड़ एक मीटर से अधिक की नहीं होगी तथा इस अनुबंध का अनुपालन न करने वाली विद्यमान बाड़ को आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय सीमाओं के अनुसार उपांतरित किया जाएगा । |
| 23. | वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| 24. | विदेशी प्रजातियों को लाना | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| 25. | प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । | पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे । |
| 26. | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण । | झील में शामिल होने के लिए, पानी की धारा के मिश्रण से निपटाने, आंशिक रूप से अपशिष्ट को रोकने से निपटान के लिए किए जाने वाले प्रयास। उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा । |
| 27. | वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| 28. | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| 29. | कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| | **संवर्धित क्रियाकलाप** | |
| 30. | स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा । |
| 31. | जैविक कृषि। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा । |
| 32. | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना । | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा । |

| | | |
|---|---|---|
| 33. | वर्षा जल संचयन। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा । |
| 34. | कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं । | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा। |
| 35. | नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग । | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा \| |
| 36. | कौशल विकास । | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए । |
| 37. | कृषि वानिकी । | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा । |
| 38. | पर्यावरणीय जागरुकता । | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए । |

**5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, महाराष्ट्र राज्य के अन्तर्गत आने वाली पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | कलक्टर, बुल्डाना | अध्यक्ष; |
| (ii) | महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि, | सदस्य; |
| (iii) | महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग का प्रतिनिधि, | सदस्य; |
| (iv) | क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | सदस्य; |
| (v) | पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ | सदस्य; |
| (vi) | सदस्य सचिव / सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड | सदस्य; |
| (vii) | पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - | सदस्य; |
| (viii) | ज्येष्ठ नगर योजना अधिकारी , बुल्डाना | सदस्य; |
| (ix) | उप वन संरक्षक, बुल्डाना (क्षेत्रीय) | सदस्य सचिव। |

**निर्देश शर्तें -** (1) मानीटरी समिति की अवधि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

IndiaCode

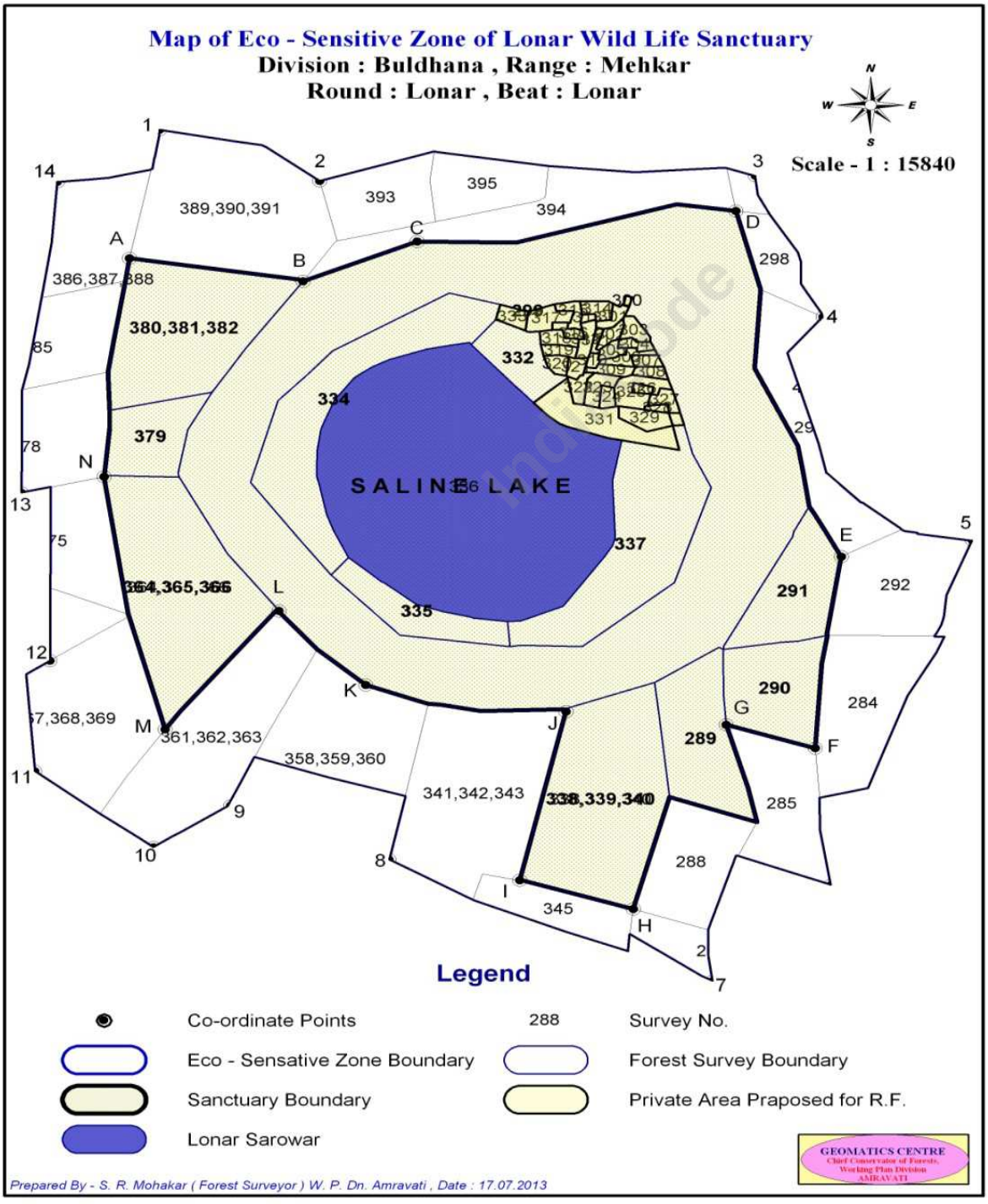
**7.** इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/43/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध I**

**भू-निर्देशांकों के साथ लोनार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र**



**उपाबंध-II**

**लोनार अभयारण्य के भू-निर्देशांक**

| क्र.सं | बिंदु सं. | अक्षांश (उत्तर) | देशांतर(पूर्व) |
|---|---|---|---|
| | | ° / // | ° / // |
| 1 | ए | 19:59:04 | 76:29:49 |
| 2 | बी | 19:59:01 | 76:30:09 |
| 3 | सी | 19:59:06 | 76:30:22 |
| 4 | डी | 19:59:10 | 76:30:58 |
| 5 | ई | 19:58:27 | 76:31:10 |
| 6 | एफ | 19:58:03 | 76:31:07 |
| 7 | जी | 19:58:06 | 76:30:57 |
| 8 | एच | 19:57:43 | 76:30:47 |
| 9 | आई | 19:57:46 | 76:30:34 |
| 10 | जे | 19:58:07 | 76:30:39 |
| 11 | के | 19:58:11 | 76:30:16 |
| 12 | एल | 19:58:20 | 76:30:06 |
| 13 | एम | 19:58:05 | 76:29:53 |
| 14 | एन | 19:58:37 | 76:29:49 |

IndiaCode

**लोनार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक**

| क्र.सं | बिंदु सं. | अक्षांश (उत्तर) | देशांतर(पूर्व) |
|---|---|---|---|
| | ° / // | ° / // | |
| 1 | 1 | 19:59:20 | 76:29:53 |
| 2 | 2 | 19:59:14 | 76:30:11 |
| 3 | 3 | 19:59:14 | 76:31:01 |
| 4 | 4 | 19:58:57 | 76:31:08 |
| 5 | 5 | 19:58:29 | 76:31:25 |
| 6 | 6 | 19:57:46 | 76:31:09 |
| 7 | 7 | 19:57:34 | 76:30:56 |
| 8 | 8 | 19:57:49 | 76:30:19 |
| 9 | 9 | 19:57:55 | 76:30:01 |
| 10 | 10 | 19:57:50 | 76:29:52 |
| 11 | 11 | 19:58:00 | 76:29:39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 19:58:14 | 76:29:40 |
| 13 | 13 | 19:58:35 | 76:29:37 |
| 14 | 14 | 19:59:14 | 76:29:41 |

**उपाबंध-III**

**लोनार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले भू-निर्देशांकों के साथ ग्राम के नाम**

| क्र.सं | ग्राम का नाम | अक्षांश | देशांतर |
|---|---|---|---|
| 1. | लोनार | उ19° 59/ 05.90// | पू76° 31/ 20.32// |

**उपाबंध IV**

**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st February, 2017

**(Lonar Wildlife Sanctuary)**

**S.O. 668(E).—**WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3126(E), dated 20th November, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the **Lonar Wildlife Sanctuary** situated on the right side of Lonar Mantha State Highway No. 171 in Buldana district, Maharashtra is spread over an area of 3.83 sq. km;

AND WHEREAS, the boundary of Lonar Wildlife Sanctuary situated in the Buldana District of Maharashtra lies between North latitude 19° 58´ 40" to 19° 58´ 42" and East longitude 76° 31´ 45" to 76°" 31´ 56";

AND WHEREAS, the Lonar Wildlife Sanctuary is ecologically significant which represent biotic provision 6B Central Plateau of the Deccan Peninsula and Lonar Lake is the third biggest Lake formed in basaltic rock due to meteorite impact;

AND WHEREAS, the Wildlife Sanctuary has a varied habitat having diverse fauna and flora Major flora of this sanctuary includes Sag (*Tectona grandis),* Lendi (*Lagerstroemia parviflora* ), Tembhurni *(Diospyros melanoxylon*) Anjan, Shankhapu-shpi (*Evolvulus alsinoides*) Ashoka, Beheda, Babhul, Bel, Chandan (*Santalum album*), Dhawada (*Anogeissus latifolia),* Hiwar Salai (*Boswellia serrata* ), Ain (*Terminalia elliptica),* Tarwad *(Senna auriculata* ) and Palas (*Butea monosperma),* and a variety of fauna such as Leopard (*Panthera pardus)*, Hyaena (*Hyaena hyaena)*, Wolf (*Canis lupus pallipes)*, Jungle Cat (*Felis chaus)*, Monkey (Rhesus Macaque) (*Macaca mulatta)*, squirrel;

AND WHEREAS, a lake within the Lonar Sanctuary known as the Lonar Lake is the third largest lake formed from basaltic rock due to meteorite impact and being important from geo-morphological point of view, it attracts researchers to conduct research regarding its formation;

AND WHEREAS, Lonar Wildlife Sanctuary has historic temples which are recognized archaeological monuments by Archaeological Survey of India;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto 100 meters from the boundary of the protected area of Lonar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 100 meters around the boundary of Lonar Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Lonar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 1.92 square kilometres with an extent of upto 100 meters all around the boundary of Lonar Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure- I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 1 village falling in Buldana district of Maharashtra

(3) The name of the village falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**

(4) The map of the Lonar Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone with Geo Co ordinates are appended as **Annexure-III & III-A.**

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government for its effective implementation.

(3) The Zonal Master Plan so prepared shall commensurate with the stipulation specified in the Notification and include the environmental implications.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this Notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj; and

(xi) Public Works Department.

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps giving the details of existing and proposed land use features.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 21, 25, 33, and 34 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan including lake shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-Tourism.-** (a) The activity relating to eco-tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new eco-tourism activities or expansion of existing eco-tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within 100 metre from the boundary of the Lonar Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Plastic Waste Management:-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management:-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan till the Zonal Master Plan is approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(14) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed be established within ESZ vide Central Pollution Board's categorization.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

**TABLE**

| Sl .No. | Activity | Remarks |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| **Prohibited Activities** | | |
| 1. | Commercial mining, stone quarrying and crushing units. | a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.<br><br>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012. |
| 2. | Setting up of saw mills. | No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 3. | Use or production of any hazardous substances. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 4. | Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution. | No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted.<br>The industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries shall be regulated as per regulations. |
| 5. | Establishment of new major thermal and hydro-electric projects | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 6. | Discharge of untreated effluents in natural water bodies meeting lake or land area. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws |
| 7. | Commercial use of firewood. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 8. | Use of Plastic bags. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 9. | Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporates, and companies. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. However, initiatives on a small-scale by the local farmers are permitted. |

| | | |
|---|---|---|
| **Regulated Activities** | | |
| 10. | Establishment of hotels and resorts for eco-tourism. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:<br>Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable. |
| 11. | Construction activities. | (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:<br>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws:<br>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any;<br>(b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan. |
| 12. | Trenching ground. | Establishment of new trenching ground is prohibited and old trenching grounds are to be regulated under applicable laws. |
| 13. | Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons, etc. | Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 14. | Commercial water resources including ground water harvesting. | (a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;<br>(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority and adapting appropriate measures for rain water harvesting;<br>(c) no sale of surface water or ground water shall be permitted;<br>(d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture. |
| 15. | Protection of hill slopes and river banks. | No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah. |
| 16. | Air and vehicular pollution. | Regulated under applicable laws. |
| 17. | Noise pollution. | Regulated under applicable laws. |
| 18. | Extraction of ground water. | Regulated under applicable laws. |
| 19. | Felling of trees. | (a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; |

| | | |
|---|---|---|
| | | (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder;<br>(c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed. |
| 20. | Erection of electrical cables and telecommunication towers. | (i) laying of transmission lines and distribution lines above 33 Kv<br>(ii) Erection of new electric cables and poles below to be permitted only for villages where there is no electricity<br>(iii) Augmentation/Renovation of electric and telecommunication cabling is permitted.<br>(iv) Promote underground cabling |
| 21. | Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads. | Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable. |
| 22. | Fencing of existing premises of hotels and lodges. | Regulated under applicable laws.<br>In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan. |
| 23. | Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP). | Regulated under applicable laws. |
| 24. | Introduction of exotic species. | Regulated under applicable laws. |
| 25. | Small scale industries not causing pollution. | Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment. |
| 26. | Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area. | Efforts to be made to prevent mixing of treated, partially treated effluents to the water stream joining the lake. Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed. |
| 27. | Commercial sign boards and hoardings. | Regulated under applicable laws. |
| 28. | Solid Waste Management. | Regulated under applicable laws. |
| 29. | Drastic change of agriculture systems. | Regulated under applicable laws. |
| **Promoted Activities** | | |
| 30. | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries. | Shall be actively promoted. |
| 31. | Organic farming. | Shall be actively promoted. |
| 32. | Adoption of green technology for all activities. | Shall be actively promoted. |
| 33. | Rain water harvesting. | Shall be actively promoted. |
| 34. | Cottage industries including village artisans. | Shall be actively promoted. |
| 35. | Use of renewable energy sources. | Shall be actively promoted. |
| 36. | Skill development. | Shall be actively promoted. |
| 37. | Agro-forestry. | Shall be actively promoted. |
| 38. | Environmental awareness. | Shall be actively promoted. |

**Monitoring Committee.-** The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Maharashtra , which shall comprise of the following namely:-

(i) Collector Buldana - Chairman.

(ii) A representative of department of Environment, Government of Maharashtra-Member

(iii) A representative of the department of revenue, Government of Maharashtra,- Member

(iv) The Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board-Member

(v) One expert in the area of ecology environment to be nominated by the Government of Maharashtra –Member

(vi) Member-Secretary/Member, State Biodiversity Board - Member

(vii) A representative of Non Governmental organization working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by Government of Maharashtra for three years -Member

(viii) The Senior Town Planner Officer Buldana -Member

(ix) Dy. Conservator of Forests Buldana (Territorial) -Member-Secretary

**Terms and Candition.-** (1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

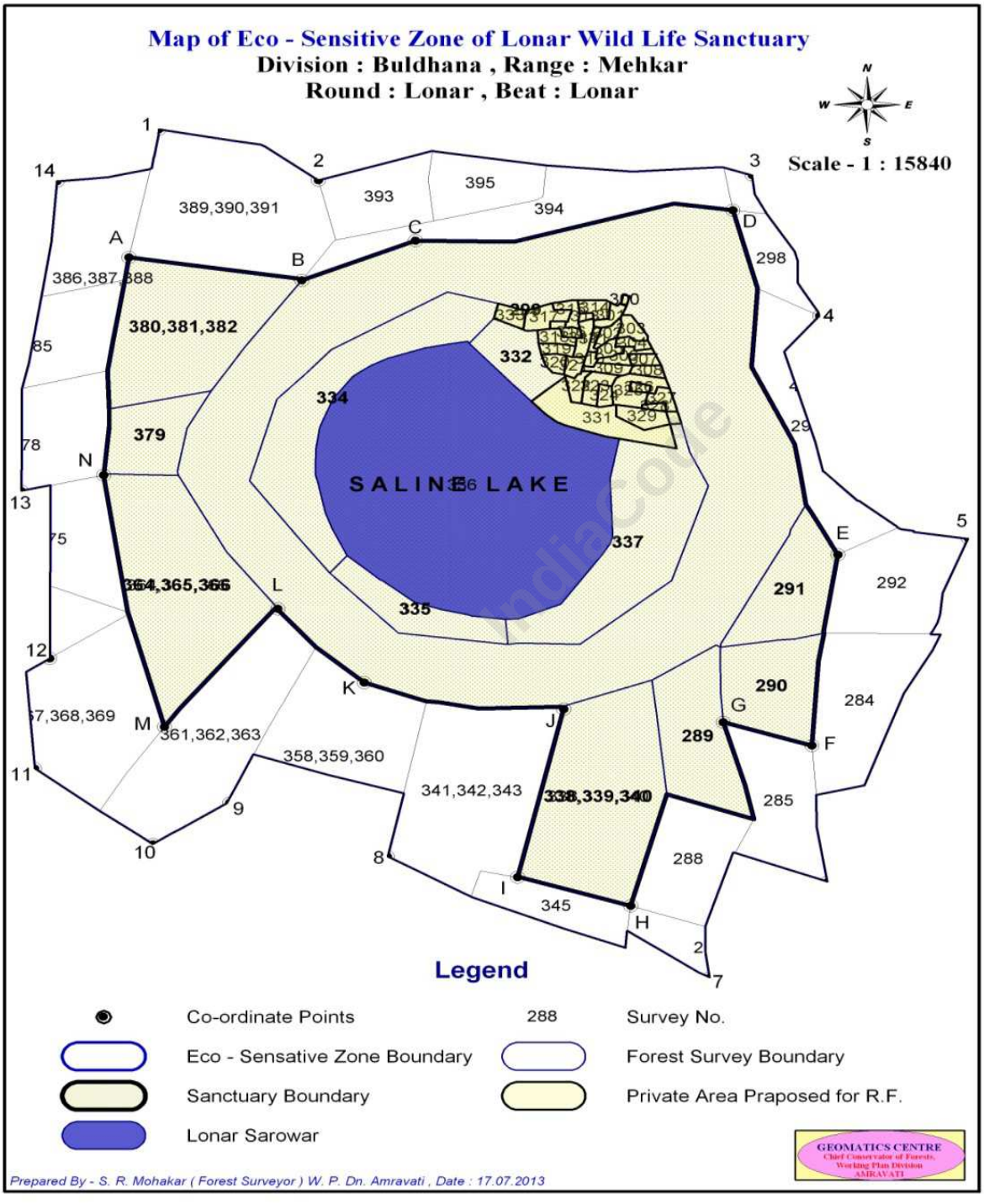
7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/43/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

**ANNEXURE-I**

**Map of Eco-Sensitive Zone of Lonar Wildlife Sanctuary with Geo Coordinates**



**Annexure-II**

**GEO COORDINATES OF LONAR SANCTUARY**

| Sr. No. | Point No. | Latitude (North) | Longitude (East) |
|---|---|---|---|
| | ° / // | ° / // | |
| 1 | A | 19:59:04 | 76:29:49 |
| 2 | B | 19:59:01 | 76:30:09 |
| 3 | C | 19:59:06 | 76:30:22 |
| 4 | D | 19:59:10 | 76:30:58 |
| 5 | E | 19:58:27 | 76:31:10 |
| 6 | F | 19:58:03 | 76:31:07 |
| 7 | G | 19:58:06 | 76:30:57 |
| 8 | H | 19:57:43 | 76:30:47 |
| 9 | I | 19:57:46 | 76:30:34 |
| 10 | J | 19:58:07 | 76:30:39 |
| 11 | K | 19:58:11 | 76:30:16 |
| 12 | L | 19:58:20 | 76:30:06 |
| 13 | M | 19:58:05 | 76:29:53 |
| 14 | N | 19:58:37 | 76:29:49 |

IndiaCode

**GEO COORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE OF LONAR SANCTUARY**

| Sr. No. | Point No. | Latitude (North) | Longitude (East) |
|---|---|---|---|
| | ° / // | ° / // | |
| 1 | 1 | 19:59:20 | 76:29:53 |
| 2 | 2 | 19:59:14 | 76:30:11 |
| 3 | 3 | 19:59:14 | 76:31:01 |
| 4 | 4 | 19:58:57 | 76:31:08 |
| 5 | 5 | 19:58:29 | 76:31:25 |
| 6 | 6 | 19:57:46 | 76:31:09 |
| 7 | 7 | 19:57:34 | 76:30:56 |
| 8 | 8 | 19:57:49 | 76:30:19 |
| 9 | 9 | 19:57:55 | 76:30:01 |
| 10 | 10 | 19:57:50 | 76:29:52 |
| 11 | 11 | 19:58:00 | 76:29:39 |
| 12 | 12 | 19:58:14 | 76:29:40 |
| 13 | 13 | 19:58:35 | 76:29:37 |
| 14 | 14 | 19:59:14 | 76:29:41 |

**ANNEXURE-III**

**NAME OF VILLAGE WITH GEO CO ORDINATES WITHIN THE ECO SENSITIVE ZONE OF LONAR WIDLIFE SANCTUARY**

| Sr. No. | Name of Village | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| 1. | Lonar | N 19° 59/ 05.90// | E 76° 31/ 20.32// |

**Annexure-IV**

**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.05 15:14:44 +05'30'